निगरानी / टी.ए./ 3706 / 2002 / करौली

जोहरया जरिये कायम मुकाम वगैरह बनाम हरिकिशन जरिये कायम मुकाम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
16—10—2024	**खण्ड—पीठ** **श्री आर.डी.मीणा, सदस्य** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** उपस्थितः— श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—07—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी / प्रार्थी ने एक दावा रेस्पो0 / प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत बेदखली जरिये बागुजाश्त रहन न्यायालय उपखंड अधिकारी / सहायक कलक्टर सपोटरा के समक्ष निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में पेश किया, जो निर्णय दिनांक 05—05—2000 द्वारा डिक्री कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर में निर्णय दिनांक 07—07—2001 द्वारा खारिज कर दी। जिसकी द्वितीय अपील मण्डल में विचाराधीन थी। दौराने अपील प्रार्थी ने सहायक कलक्टर सपोटरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इजराय बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर सहायक कलक्टर सपोटरा ने आदेश दिनांक 08—08—2001 से इजराय हेतु तहसीलदार को आदेश जारी कर दिए। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा सहायक कलक्टर का आदेश दिनांक 08—08—2001 निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष की बहस मूल अपील अपील / डिक्री / टी.ए. / 4894 / 2001 / करोली के साथ सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल अपील में कायम मुकाम बाबत् प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पत्रों का निस्तारण किया जाकर मृतकों के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। चूंकि हस्तगत निगरानी से संबंधित मूल अपील अपील/डिक्री/टी.ए./4894/2001/करोली का निस्तारण खण्डपीठ द्वारा किया जाकर हरिकिशन जरिये कायम मुकाम वगैरह द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जाकर सहायक कलक्टर सपोटरा एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर सपोटरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल रह गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का आदेश दिनांक 04–07–2002 खारिज किया जाता है। हस्तगत पत्रावली के साथ मूल अपील अपील/डिक्री/टी.ए./4894/2001/करोली में पारित निर्णय की प्रति सलंग्न की जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य** **(आर.डी.मीणा)** **सदस्य**	